वि.स. तारांकित प्रश्न क्रमांक - 334, उत्तर दिनांक - 26/2/16 - परिशिष्ट -

प्रश्नकर्ता - श्री ... सिंह ठाकुर, मान० विधायक

70

मध्यप्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष क्र. 0755–2527114, ई–मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2015 / 1280 भोपाल, दिनांक 09 / 11 / 2015

प्रति,

नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
ईदगाह हिल्स, भोपाल

विषयः–राज्य रक्ताधान परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 02.09.2015 पर निर्णय (Blood Storage Centres & NOC from State Blood Transfusion Council for application for licensure to any Blood Bank).

संदर्भः–National Core Blood Bank Assessment Committee की अनुशंसा के एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बंध में।

–––00–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत Director General of Health Services की अध्यक्षता मे National Core Blood Bank Assessment Committee की बैठक दिनांक 26 मई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। उक्त बैठक में ब्लड बैकिंग से सम्बंधित (2) Blood Storage Centres & (3) NOC from State Blood Transfusion Council for application for licensure to any Blood Bank मुद्दों पर अनुशंसाएं की गई है।

उपरोक्त के सम्बंध में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य रक्ताधान परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 2.9.2015 में ब्लड स्टोरेज यूनिट एवं ब्लड बैंक हेतु शासकीय/अशासकीय अस्पतालों को परिभाषित किया गया है।

"6 अथवा अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों को ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने हेतु मान्य किया जाये"। उक्त ब्लड स्टोरेज यूनिट में आवश्यकता अनुसार चिन्हित मदर ब्लड बैंक से रक्त की प्रदायगी की जा सकेगी। इन संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का विधि अनुसार आयोजन कर अपनी आवश्यकता का 130% रक्त एकत्रित कर मदर ब्लड बैंक को उपलब्ध कराने की बाध्यता होगा एवं "प्रत्येक अस्पताल जिसमें 50 या उससे अधिक बिस्तर हैं, ब्लड बैंक का संचालन कर सकेगा"। ऐसे ब्लड बैंक का संचालन अस्पताल परिसर में ही व संबंधित अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वयं किये जाने की बाध्यता होगी।

(सुनीता त्रिपाठी) भा.प्र.से.
संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद् एवं
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2015 / 1281 भोपाल, दिनांक 09 / 11 / 2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल।
5. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, अरेरा हिल्स, भोपाल।

संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद् एवं
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.